International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

''भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा पिछड़े वर्ग''

सुरेन्द्र कुमार चोरड़िया
असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान)
विद्या संबल
राजकीय महाविद्यालय–नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड़)

सारां"ा :–

प्राय प्रत्येक अधिनियम के प्रारम्भ में एक ''प्रस्तावना'' की व्यवस्था होती है। प्रस्तावना में उन उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है जिनकी प्राप्ति के लिए कोई अधिनियम पारित किया जाता है। न्यायाधिपति श्री सुब्बाराव के शब्दों में ''प्रस्तावना'' किसी अधिनियम के मुख्य आद"ार्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। ''भारतीय संविधान की प्रस्तावना मे संविधान की रचना का मुख्य उद्दे"य निहित है।'' प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुजी है। संविधान की रचना के समय निर्माताओं का उद्दे"य था। किन उच्च आद"ार्शों की प्रतिस्थापना भारत के संविधान में करना चाहते थे इन सब को जानने का माध्यम प्रस्तावना होती है ''भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो उद्दे''य समाविष्ट किए गये हैं वे इस प्रकार हैं।''

''हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनि"चत करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकलप होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. को एतद्द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''

भारतीय संविधान का उद्दे"य :–

न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता

भारतीय संविधान द्वारा देशवासियों को न्याय प्रदान करने का प्रयास किया गया है। सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक न्याय का मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष भारत एक ''लोककल्याणकारी राज्य'' की स्थापना का उद्दे"य था। वे भारत में एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना चाहते थ जिसका उद्दे"य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भारतीय संविधान का मुख्य उद्दे"य भारतीय जनता को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करना है।

(क) न्याय :– सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक।

(ख) स्वतंत्रता :– पद एवं अवसर।

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

(ग) बंधुत्व :– व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के लिए।

प्रस्तावना से स्पष्ट है कि संविधान निर्माता भारतवर्ष में सदियों से व्याप्त जाति व्यवस्था से पूर्ण रूपेण परिचित थे। उन्हें मालूम था भारत में वि"ोषकर हिन्दु समाज में किसी व्यक्ति को उसके जन्म से ही उसकी जाति के आधार पर उसका समाज में क्या स्थान होगा, निर्धारित हो जाता है। सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे वर्गों तथा अछूत व वनवासी समूह के पद एवं अवसर की समानता प्रदान करके उसकी बहुमुखी उन्नति करके, सामाजिक राजनैतिक व आर्थिक गैर बराबरी को समाप्त करने का पक्का संकल्प था। इसलिए उनके हितों की रक्षा हेतु संविधान में व्यवस्था की गई है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक न्याय के साथ राजनैतिक न्याय भारतवर्ष के नागरिकों को प्रदान करने की गारन्टी दी गई है।

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को अनु. 360 के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों तथा अनुच्छेद 362 के अन्तर्गत विधानसभाओं एवं विधान परिषदों में स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था प्रदान की गई है। इस व्यवस्था में उनको शासन में भी प्रर्याप्त भागीदारी देने की व्यवस्था की गई प्रस्तावना में प्रतिपादित संकल्प द्वारा राजनैतिक न्याय दिलाने की और संवैधानिक व्यवस्था की गई। पिछडे वगो को राजनैतिक आरक्षण देने की कोई भी स्पष्ट व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट प्रावधान है कि भारत के लोगों को राजनैतिक न्याय दिलाने का संकल्प है, तब पिछडे वर्गों की भी आकांक्षा पूर्ण होनी चाहिए।

राजनैतिक व्यवस्था एवं पिछड़ा वर्ग :–

(1) सामाजिक असमानता से सामाजिक समानता तक :–

संविधान के अनुच्छेद 14 में भारतीय नागरिकों के बहुमूल्य लोकतंत्रीय अधिकार का अथवा कानून के समक्ष सभी समान हैं के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। समता के महत्वपूर्ण सिद्धान्त की संविधान के अन. 15, 16 तथा 29 में विस्तृत व्याख्या की गई है।

प्रत्यक्षत समानता का सिद्धान्त बहुत ही उचित और सही लगता है। सामाजिक न्याय की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि ''समानता केवल समान लोगों के बीच होती है। असमान के साथ समान जैसा व्यवहार करना असमानता की स्थिति प्रदान करता है।''

जाति रहित तथा समाजवादी समाज स्थापित करने और वि"ोषकर मताधिकार प्रदान करने की संवैधानिक वचनवद्व व्यवस्था ने हिन्दू समाज में शताब्दियों से चली आ रही जाति प्रथा को सबसे बडी चुनौती दी है। जाति, वंश, मूल, लिंग एवं धर्म से परे समतावादी समाज की स्थापना करना भारतीय की प्रमुख व्यवस्था है। परन्तु समतावादी सिद्धान्त भारत की जातिगत सामाजिक व्यवस्था है। परन्तु समतावादी सिद्धान्त भारत की जातिगत सामाजिक व्यवस्था में उभर कर सभी के समक्ष नहीं आया है। परम्परागत असमानता पर आधारित व्यवस्था के परिवर्तन को परिवर्तित करने हेतु अनवरत प्रयास चलते रहे हैं।

कर्म और पुर्नजन्म के सिद्धान्त पर हिन्दु समाज में उत्तराधिकार के रूप में जो असमानता पाई जाती है। उसको बदलने के लिए समाज सुधारकों, विचारकों राष्ट्रीय नेताओं एवं दे"ा के बुद्धिजीवियों

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

द्वारा अनवरत रूप से प्रयास किया जाने का परिणाम भारतीय संविधान में समानता के सिद्धान्त का प्रतिपादन है।

ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन द्वारा चलाए गए समाज सुधार के आन्दोलन ने मानव की समानता के सिद्धान्त को जन्म दिया और प्रचारित किया। कबीर एवं रैदास द्वारा भक्ति आन्दोलन ने भी भारतवर्ष की सामाजिक व्यवस्था में निम्न श्रेणी में सम्मिलित जातियों को आत्मसम्मान एवं सामाजिक बराबरी के सिद्धान्त का ज्ञान कराया। हिन्दू धर्म द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक असमानता को व्यवस्थित ढंग से चुनौती दी गई है व सामाजिक परिवर्तन लाने का अनवरत प्रयास किया गया है।

महात्मा गाँधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा डा. बी. आर. अम्बेडकर जैसे विचारक रूसो और ज. एस. मिल के समानता एवं समतावाद के सिद्धान्त से प्रभावित थे उन्होंने हिन्दू धर्म के कट्टरवादिता के सिद्धान्त को अमान्य कर दिया उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में समानता के सिद्धान्त का प्रचार स''ाक्त ढंग से किया।

महात्मा गाँधी द्वारा अछूतों के लिये किये गये कार्य और अस्पृ"यता निवारण का संकल्प ''हिन्दू सुधारवाद तथा पा"चात्य समतावाद का अद्भूत मिश्रण है।''

डा. अम्बेडकर ने ''सामाजिक असमानता को भगवान द्वारा निर्मित'' सिद्धान्त की खुलकर आलोचना की और इसको मनुष्य द्वारा निर्मित की गई उच्च वर्गों के लाभों के लिए छल–कपट पूर्ण सुनियोजित नीति निरूपित किया।

डा. अम्बेड़कर ने अथक एवं अनवरत प्रयास, शोषित, दलित एवं पिछड़े वर्गों के हितों की पैरवी का ही परिणाम है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने हितकर भेदभाव की नीति व सिद्धान्त को संविधान में प्रतिपादित करना स्वीकार कर लिया।

बुद्धिवादिता, समानता एवं स्वतंत्रता के सिद्धान्तों का प्रभाव यह हुआ की भारत की शोषित, दलित व पिछड़ी जातियों, मनुष्य निर्मित सामाजिक असमानता के विरूद्ध आवाज उठाने लगी तथा संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग करना प्रारम्भ कर दिया। दक्षिण भारत में दलित वर्ग एवं पिछड़े वर्गों ने राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में ब्राह्मणों में वर्चस्व के विरूद्ध आवाज उठाई परिणाम स्वरूप उन्होंने शासकीय नौकरियों में कोटा व आरक्षण प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली। वर्तमान समय में ''पुरोहितवाद का सिद्धान्त'' एवं ''धर्म निरपेक्षता और समतावाद'' का सिद्धान्त दोनों साथ–साथ चल रहे हैं।

दलित शोषित कमजोर एवं पिछड़े वर्गों में समानता को विकसित करने, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए, आरक्षण एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। समानता क्या है? इसका किस अर्थ में प्रयोग है, इसको समझना व जानकारी हासिल करना आव"यक है।

समानता एवं रक्षात्मक विभेदीकरण :–

''समानता'' का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। किसी के साथ भेदभाव व पक्षपात नहीं होना चाहिए वर्तमान समय में समानता के सिद्धान्त के सम्बंध में लोगों के विचार है। कि यह केवल

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

सिद्धान्त तक सीमित नहीं होने चाहिए बल्कि यह एक क्रांतिकारी राजनैतिक विचार भी होना चाहिए। असमानता सामाजिक आलोचना को जन्म देती है। समानता का सिद्धान्त व व्याख्या वर्तमान समय में परिवर्तन''ील समाज के हित के अनुकूल होना उचित है।

''समानता'' का सिद्धान्त अभी कुछ समय पहले तक केवल औपचारिक ''समानता'' तक ही सीमित था। इससे समाज में व्याप्त सामूहिक असमानता, जो विभेदपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण पैदा हुई है, उसको दूर करने से कोई मतलब नहीं था। दीर्घकाल तक ''समानता'' का व्यक्तिवादी दृष्टिकोण इस सूत्र पर आधारित था कि समान के साथ ''समानता'' एवं असमान के साथ असमानता का व्यवहार होना चाहिए। ''समानता'' के सिद्धान्तों का इससे कोई सम्बंध नहीं था कि ''असमानता'' को दूर करने के कदम उठाए जाए। समानता का नवीन दृष्टिकोण ''परिणाम की समानता'' से सम्बंधित है जो कि राज्य द्वारा सुनि''चत कार्यक्रम एवं कार्यवाही करके असमानता घटाने के प्रयास से किया जा सकता है।

यह सुनिश्चित हो चुका है तथा महसूस किया जाता है कि ''समानता की मांग अन्याय, अयोग्य, एवं विधि विरूद्ध असमानता'' को चुनौती देना है। यह अवसर आकस्मिक असमानता, अनुचित शक्ति एवं संग्रहित वि''ोषाधिकारों के विरूद्ध मनुष्य के विद्रोह का प्रतीक है। ''औपचारिक समता'' सभी व्यक्ति को समान मानकर प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाता है। किन्तु व्यक्ति सभी पहलुओं में एक समान नहीं है। समता का दावा वस्तुतः अन्यायपूर्ण, अवांछित और अन्यायोचित असमता का विरोध है।

आकस्मिक असमता अन्यायपूर्ण शक्ति और स्पष्ट विशेषाधिकारों के विरूद्ध मानव को विद्रोह है। मोटेतौर पर ''समानता'' के सम्बंध में दो विचार है। पहला संख्या सूचक अथवा शाब्दिक अथवा औपचारिक ''समानता'' इस विचार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को बराबर मात्रा में फायदा होना चाहिए यह विचारधारा यह मान्यता देती है कि मनुष्य असमान है और लाभ एवं अधिकार के बँटवारे में भेदभाव का कोई औचित्य नहीं है।

दूसरा आनुपातिक ''समानता'' का सिद्धान्त है। इसके अनुसार लाभ व भार के बँटवारा के सम्बंध में सभी पर विचार होगा। लेकिन बँटवारा में किसको कितनी मात्रा में प्राप्त होगा, इसमें अन्तर हो सकता है। इस समानता के सिद्धान्त के अनुसार असमान लोगों के प्रति वि''ोष एवं भिन्न व्यवहार करने की मान्यता प्राप्त होती है।

आनुपातिक ''समानता'' लाभ का बँटवारा ''योग्यता'' एव ''आवश्यकता'' के आधार पर प्रदान करती हैं। ''योग्यता का सिद्धान्त'' एवं ''आव''यकता का सिद्धान्त'' दोनों ''संवैधानिक समानता'' के अनुरूप हैं। योग्यता का सिद्धान्त लाभ एवं भार का बँटवारा के लिए योग्यता के मापदण्ड को मान्यता प्रदान करता है, जबकि ''आव''यकता'' का सिद्धान्त समाज के उत्थान हेतु आवश्यक प्रोत्साहन को मान्यता देता है।

आवश्यकता का सिद्धान्त यह मानकर चलता है कि मनुष्य में योग्यता, प्रोत्साहन, शिक्षा तथा अन्य बहुत से क्षेत्रों में भिन्नता है, जो कि समाज को उसके द्वारा कुछ देने की उसके योग्यता को

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

प्रभावित करती है। इस सम्बंध में जाँच करने से पूर्व मानव समाज के सन्दर्भ में ''समानता'' की जटिलताओं पर विचार करना आव''यक है। एस. एच. जी. गान्स ने कहा है कि ''समानता'' के तीन विकल्प आमतौर पर लिये जाते हैं।

(1) अवसर की समता

(2) व्यवहार की समता

(3) परिणाम की समता

संविधान के अनु. 16(1) के अन्तर्गत दी गई अवसर की समानता वास्तव में ''इच्छा स्वतंत्रवाद'' है ताकि समानतावादी सिद्धान्त, क्योंकि वह जीवन के क्षेत्र में प्रत्येक को समान स्वतंत्रता प्रदान करती है। ''वे लोग जो अपना जीवन असुविधाओं से प्रारम्भ करते हैं, वे शायद ही अवसर की समता का फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि जब तक कि वे कु''ाल और उन्नति''ाील तकनीकों में वि''ोष रूप से श्रेष्ठ न हो, तब तक वे कभी भी अधिक सम्पन्न व्यक्तियों के समान सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं और बहुत से सुविधाहीन व्यक्ति कभी भी समान अवसर प्राप्त नहीं कर सकते हैं अवसर समानता एक सामाजिक सिद्धान्त भी है क्योंकि यह ''सुविधाहीन लोगों के मार्ग में बहुत से अदृ''य तथा बढ़ी हुई उलझनों को नहीं देखता है। वस्तुतः जब तक पिता से लेकर उनके बच्चों तक का मध्यवर्गीय घरों में लालन पालन नहीं किया जायेगा तब तक अधिका''ा लोग अवसर की समानता से ग्रस्त रहेंगे।''

मण्डल पिछड़ा वर्ग आयोग में दिए गये ''सामाजिक न्याय योग्यता तथा वि''ोषाधिकार'' अध्याय 6 में नि''चत की गई निम्न व्याख्या महत्वपूर्ण हैं :–

''6–12 उपर्युक्त विचारों को दृष्टि में रखते हुए गास कहता है' वास्तविकता समतावादी सिद्धान्त ही परिणाम की समानता का सिद्धान्त है। जिसमें प्रारम्भ में सुविधा रहित लोगों के लिए असमान व्यवहार की उपेक्षा की जाती है ताकि अन्ततः वे स''ोधन और अधिकारों में समान हो।'' 6–14 वास्तव में मूल अधिकारों का लक्ष्य भी उस समय तक प्राप्त नहीं हो पाता, जब तक की शोषितों के वैध अधिकारों की रक्षा के लिये समुचित वातावरण तैयार नहीं किया जाए। स्वतंत्रता के तत्काल प''चात् प्रत्येक राज्य के का''तकारों और खेतिहरों को का''तकारी अवधि की सुरक्षा प्रदान करने और धारण की सीमा निर्धारित करने, जैसे भूमि सुधार कानून बनाए हैं। चूँकि कमजोर और गरीब कास्तकारों, किसानों के पास अपने अधिकारों को प्राप्त करने के कोई साधन नहीं है और इसके विपरीत शक्ति''ाली भूमि स्वामियों के पास सीमा सम्बंधी कानूनों से बचने के प्रर्याप्त साधन दबदबा उपलब्ध है।

जब तक कि दलित वर्गों को सुरक्षित सुविधायें नहीं दी जाएगी तब तक यह कहना सम्भव नहीं होगा कि उन्हें भी अविकसित लोगों की तरह ही समान अवसर प्राप्त हैं यही कारण है और सामाजिक न्याय के लिये, यह उचित भी है कि दे''ा के दलित, नागरिकों को प्राथमिकता दी जाए ताकि उन्हें समाज के अन्य अविकसित वर्गों के बराबर अवसर प्राप्त हो सके।''

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

अनुच्छेद–14 कानून के समक्ष समानता :–

लोकतंत्र का प्रर्याय है 'विधि शासन' विधि शासन में विधि सर्वोच्च होती है। विधि से ऊपर कोई नहीं होता। मनुष्य–मनुष्य में कोई अन्तर नहीं किया जाता। जाति, धर्म, वं"ा, लिंग, आदि भेदभाव का कारण नहीं होते। सभो के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। यही प्रकृति का नियम भी है विधि शासन में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि कम क्षमता वाले व्यक्तियों की क्षमता बढे और वे बराबरी के स्तर पर आये। विधि समस्त शासन का यही मुख्य लक्ष्य है इसमें समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में समान व्यवहार किया जाता है।

अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत प्रतिपादित समता के अधिकार का नियम सकारात्मक प्रभाव रखता है। यह ऐसे मामलों में लागू नहीं होता है। जहाँ उसमें संवैधानिकता उत्पन्न होती हो यह एक सुखद बात है कि भारतीय संविधान में ''विधि शासन'' के सिद्धान्त को अंगीकृत किया गया है।

अनुच्छेद–14 में यह व्यवस्था की गई है कि–

(1) सभी वयक्ति विधि के समक्ष समान होंगे तथा

(2) सभी व्यक्तियों को विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा।

अर्थात विधि की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होंगे एवं विधि सभी को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगी। इस व्यवस्था को न केवल नागरिकों पर अपितु सभी प्रकार के व्यक्तियों पर लागू किया गया है। चाहे वह निगम आदि विधिक व्यक्ति ही क्यों न हों।

विधि शासन से यह अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को अमानवीय व्यवहार से बचाये और उसकी रक्षा करे। विधि का शासन अभियुक्त व्यक्तियों को भी संरक्षण प्रदान करता है और कहता है कि राज्य पुलिस अमानवीय से इसकी सुरक्षा के उपाय करे और दोषी पुलिस कर्मियों को भी दण्ड दे। यदि राज्य ऐसा करने में असफल रहता है तो वह दिन दूर नहीं होगा जब विधि शासन से आस्था उठ जायेगी। किसी भी भारतीय नागरिक का बहुमूल्य लोकतंत्रीय अधिकार कानून के समक्ष समान होता है ये अनुच्छेद 15–16 तथा 29 में विशेष रूप से प्रकट किया गया है। ये अनुच्छेद धर्म, वर्ण, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाते हैं।

संविधान निर्माता समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत के प्रति पूर्ण रूप से सजग थे। अनुच्छेद 15, 16, और 29 में सभी नागरिकों को शिक्षा, रोजगार और अन्य सुविधाओं को समान रूप से देने की बात कही गई है अनुच्छेद 15, 16, एवं 29 के प्रावधानों पर ध्यान देना आव''यक है,

जो निम्नलिखित हैं :– अनुच्छेद 15 के प्रावधान अनु. 14 में कि गयी व्यवस्था के आगे बढ़ाते हैं अनुच्छेद 15 की व्यवस्था को चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

अनुच्छेद 15(1) –

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

राज्य धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगा

अनुच्छेद 15(2) –

केवल धर्म, मूलवंश जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इसमें किसी के आधार पर कोई नागरिक :–

(क) दुकानों सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के अथवा

(ख) पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य निधि से घोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थलों के उपयोग के बारे में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व निर्बंधन अथवा शर्त के अधीन न होगा।

अनुच्छेद 15(3) –

इस अनुच्छेद को किसी बात से राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिये कोई विशेष उपबंध बनाने में बाधा न होगी।

अनुच्छेद 15(4) –

इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की किसी बात से राज्य को सामाजिक और ि"ाक्षात्मक दृष्टि से पिछडे हुए किन्हीं नागरिक वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने में बाधा न हो।

अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता :–

आजीविका के विभिन्न साधनों में नियोजन भी एक है सामाजिक व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए कोई न कोई पेशा वृति, कारोबार, नियोजन आदि अंगीकृत करता है इन सभी में सफलता उसके कौशल, परिश्रम, ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य परायणता आदि पर निर्भर करती है व्यापार वाणिज्य मे ंतो ये अपरिहार्य तत्व के रूप में काय करते हैं लेकिन जहाँ तक नियोजन का प्रश्न है, इन तत्वों के अस्तित्व के पीछे भी एक प्रमुख तत्व काम करता है। नियोजन में अवसर की समता अर्थात समान स्थिति वाला व्यक्ति समान नियोजन की अपेक्षा रखता है। और यदि उसे ऐसा अवसर नहीं मिलता है तो वह कुण्ठित होने लगता है। उसके उपर्युक्त गुण लुप्त होने लगते हैं। अतः प्रत्येक कल्याणकारी राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों को कुण्ठित होने से बचाये। अनु. 16 की व्यवस्था इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है इसके अनुसार –

अनुच्छेद 16(1) –

राज्य के अधीन पदों पर नियोजन अथवा नियुक्ति के सम्बंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे।

अनुच्छेद 16(2) –

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

इस सम्बंध में केवल धर्म, मूलवंश जाति उद्भव, जन्म स्थान एवं निवास के आधार पर नागरिकों के साथ कोई विभेद नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 16(3) –

किसी बात से संसद को कोई ऐसी विधि बनाने में बाधा न होगी जो प्रथम अनुसूची में उल्लेखित किसी राज्य के अथवा उसके राज्य क्षेत्र में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी प्रकार की नौकरी में या पद पर नियुक्ति के विषय में वैसी नौकरी या नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के अन्दर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो।

अनुच्छेद 16(4) –

''इस अनुच्छेद को किसी बात से राज्य को पिछड़े किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं से प्रर्याप्त नहीं है नियुक्तियाँ या पदों के संरक्षण के लिए उपबंध करने में कोई बाधा न होगी।''

अनुच्छेद 15 में खण्ड (4) –

संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोडा गया है। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय यह अनुच्छेद 15(4) उसमें शामिल नहीं था यह संशोधन ''जसवन्त कौर बनाम बम्बई राज्य ए. आई. आर. 1952 पृष्ठ 461'' मद्रास हाईकोर्ट के फैसले (ए. आई. आर. 1951 मद्रास पृष्ठ 150 तथा इसके विरूद्ध वत्सबंधी अपील में सुप्रीम कोर्ट के फैसले (श्रीमती चम्पकम बोराई राजन बनाम मद्रास राज्य (ए. आई. आर 1951 स. को पृष्ठ 266) के प्रस्ताव को दूर करने के लिये अधिनियम 1951 द्वारा किया गया।

इससे स्पष्ट है कि अनु. 15(4) की व्यवस्था को पिछड़े वर्गों के सामाजिक व शैक्षणिक विकास की आव''यकता को समझ कर संसद ने बहुत विचार विमर्श करने के बाद ही इनको बढ़ाया है। और यह महसूस किया गया कि समाज के कमजोर वर्गों को समाज के अन्य सम्पन्न व आगे बढ़ हुए वर्गों के समान खाने हेतु इस तरह की विशेष व्यवस्था के बिना उनका विकास तथा उत्थान नहीं हो सकता।

इस खण्ड के अन्तर्गत राज्य किन्ही सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जातियों और आदिवासियों की उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत हैं।

अनुच्छेद 15(4) –

में संविधान के अनुच्छेद 29(2) का सन्दर्भ दिया गया है इस कारण अनु. 29(2) का भी अवलोकन आव''यक है जो निम्न प्रकार से है–

अनुच्छेद 29(1) –

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

भारत के राज्य क्षेत्र में अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को जिसकी अपनी वि"ोष भाषा, लिपि या संस्कृति हैं उसे बनाये रखने का अधिकार है।

अनुच्छेद 29(2) –

राज्य द्वारा घोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश किसी नागरिकों को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा उनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं रखा जायेगा।

दोनों अनुच्छेदों 15 और 16 के खण्ड (4) किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछडे हुए वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रस्तावित करते हैं। नीति–निर्देशक सिद्धान्त का अनुच्छेद 46 देश के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा धार्मिक हितों की विशेष रूप से रक्षा करने और उनका विकास करने के लिये राज्य को अधिकार देता है।

उपरोक्त व्यवस्थाओं के रहते हुए संविधान निर्माताओं तथा देश के कर्णधारों ने यह महसूस किया कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो समाज में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में दूसरे वर्गों की तुलना में बहुत पिछडे हुए हैं। इसलिए इस असमानता को जड़ से निर्मूल करने हेतु आव"यक संवैधानिक व्यवस्था की गई है। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में समाज के कमजोर वर्गों के सम्बंध में निम्न व्यवस्था की गई :–

अनुच्छेद 46 –

''राज्य जनता के दुर्बलता विभागों तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तर्थ अर्थ सम्बंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा, तथा सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका सरक्षण करेगा।''

सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग एवं समूहों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सुविधाऐं व शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण तथा शासकीय नौकरियों की व्यवस्था उनका संवैधानिक मूल अधिकार है। जाँच व अन्य प्रकार से साबित हो जाने पर भी कोई जाति, वर्ग, व समूह सामाजिक व शैक्षणिक रू‍प से पिछड़ा हुआ है। तथा शासकीय सेवाओं में उनको प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसके अनुच्छेद 15(4) एवं 6(4) के अनुसार आरक्षण की पात्रता उत्पन्न हो जाती है।

उक्त सन्दर्भ में संविधान के भाग–4 अभिलिखित राज्य के ''नीति निर्देशक तत्व'' के निम्न अनुच्छेदों के प्रावधान का अवलोकन आवश्यक है।

अनुच्छेद–38 लोक कल्याण की उन्नति हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनायेगा :–

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

(1) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी सस्थाओं को प्रभावित कर भरसक कार्य साधन के रूप में संशोधन और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।

(2) (राज्य विशेष रू॰ से असमानताओं को न्यूनक रने का प्रयत्न करेगा और केवल व्यक्ति के बीच किन्तु विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के बीच भी प्रतिस्थापित सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को दूर करने का प्रयत्न करेगा)

(संविधान के 44 वें संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 9 द्वारा अनुच्छेद 38 को पुनः संख्यांकित करके अनुच्छेद 88(1) किया गया और उस प्रकार पुनः संख्यांकित किए गये खण्ड के प''चात् खण्ड–2 जोड़ दिया गया)

अनुच्छेद–39

राज्य द्वारा अनुसूचित अनुस्मरणीय कुछ नीतिः– (ख) समुदाय की भौतिक सम्पति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार चढ़ा है कि जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रू॰ से साधन हो।

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले कि जिसमें धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न हो।

संविधान में निहित मूलाधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेदों के अलावा पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित निम्न अनुच्छेदों पर विचार करना अति आवश्यक है।

अनुच्छेद –164(1) :–

परन्तु उडीसा, बिहार तथा मध्यप्रदेश राज्यों में आदिम जातियों के कल्याण के लिए भारसाधक एक मंत्री होगा जो साथ–साथ अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के अन्य कार्य का भी भार साधक हो सकेगा।

संविधान द्वारा दिए गए संरक्षणों का समुचित रूप से पालन हो सके इसके लिए राष्ट्रपति इन जातियों व वर्गों के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो सभी विषयों का अनुसंधान करेगा और उसके संचालन के विषय में समय–समय पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा जिन्हें संसद के प्रत्येक दल के समक्ष रख पायेगा। संविधान के अनुच्छेद 338 में निम्न प्रावधान हैं :–

(1) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान के अधीन उपबंधित परित्रणों से सम्बद्ध सब विषयों का अनुसंधान करना तथा उन परित्रणों पर कार्य होने के सम्बंध में ऐसे अंतर विधियों में जैसे कि राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारियों का कर्तव्य होगा तथा राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाऐगा।

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

(3) इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति निर्देश के अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछडे वर्गों के प्रति निर्देश जिनको कि राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद 340 (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पद आदेश द्वारा उल्लेखित करें तथा आंग्ल भारतीय समाज के प्रति निर्देश भी है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 भी महत्वपूर्ण है इस अनुच्छेद के माध्यम से ही अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को अनुच्छेद 16(4) के प्रावधान के तहत शासकीय नौकरियों से प्राप्त आरक्षण व्यवस्था की आलोचना की जाति है। प्रायः यह कहा जाता है कि कमजोर वर्गों व पिछड़े वर्गों को शासकीय सेवाओं में आरक्षण देने से प्रशासनिक क्षमता का ह्रास होता है। इससे यदपि इस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग का कोई अल्लेख नहीं है। फिर मण्डल पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन, को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन तथा अन्य राज्यों द्वारा नियुक्त किये गये आयोगों के प्रतिवेदनों की आलोचना की जाती है।

यह तर्क उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में कई प्रकरणों में दिया गया है

अनु. 335 –

संघ या राज्य के कार्यों में सशक्त सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियाँ करने में प्रशासन कार्य पटुता बनाए रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे का ध्यान रखा जायेगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(1), 46, 335 338(3) एवं 340 के अध्ययन से स्पष्ट है कि कमजोर दुर्बल एवं पिछड़े वर्गों में निम्न वर्गीकरण किया गया है :–

(1) अनुसूचित जातियाँ

(2) अनुसूचित जनजातियाँ

(3) अन्य पिछड वर्ग

अनुसूचित जातियाँ सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी वह जातियाँ हैं, जिसके ऊपर अछूत का कलंक है। इन वर्गों को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचना जारी करके अनुसूचीबद्ध किया जाता है। अनुसूचित आदिम जातियाँ वह जातियाँ हैं, जो सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछडी हैं उनके सर पर अछूत का कलं नहीं है लेकिन वे सुदूर जंगलों व पहाड़ियों में नागरिक सभ्यता से दूर पृथक जीवन बसर करती है। इनको संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत अनुसूचित किया गया है। पिछडे वर्ग में वह जाति–समूह व वर्ग आतें हैं जो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं लेकिन उसके सर पर अछूत का कलंक नहीं है। और वह सुदूर जंगलों व पहाडियों में नागरिक सभ्यता से दूर पृथक जीवन भी व्यतीत नहीं करते हैं। लेकिन समाज में सम्पन्न व सर्वण जातियों के साथ रहकर उनके घरों में उनकी सेवा का काम सदियों से करते चले आ रहे हैं और असमानता के अभि''ाप के आगे रहे हैं। ये दुर्बलतर वर्ग के अनुसूचित जातिया व अनुसूचित जनजातियों से कुछ बेहतर जरूर हैं।

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

लेकिन हिन्दु जातिगत व्यवस्था में इन्हें भी नीच और छोटी जाति ही समझा जाता है। और शुद्र वर्ण में इसकी स्थिति छूआछूत के मामले में बेहतर है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 365(29) एवं (25) म परिभाषित किया गया है परिभाषा निम्न है :–

366(24) –

अनुसूचित जातियों से अभिप्राय है ऐसी जातियों मूलवंश या आदिम जातियों के भाग या उनमें वे जो कि अनुच्छेद 341 के अधीन इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जातियाँ समझी जाती हैं। अनुच्छेद–25 आदिम जातियों से अभिप्राय है ऐसी आदिम जातियाँ या आदिम जाति सुदाय अथवा ऐसी आदिम जातियों या आदिम जाति समुदायों के भाग था उनमें से यूथ जो की अनुच्छेद 342 के अधीन संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित आदिम जातियाँ समझी जाती हैं।

अन्य पिछडे वर्ग की कोई स्पष्ट परिभाषा संविधान में नहीं दी गई। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्गों को रेखांकित करने के लिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत पिछडा वर्ग आयोग गठित करने की व्यवस्था की गई है जो निम्न है :–

अनुच्छेद 340 :–

पिछडे वर्गों की द''ाओं के अनुसंधान के लिए आयोग की नियुक्ति :–

(1) भारत राज्य क्षेत्र में सामाजिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछडे हुए वर्गों की दशाओं के तथा जिन कठिनाइयों को झेलते हैं उनके अनुसंधान के लिए तथा उनकी दशा को सुधारने के लिए करने योग्य उपायों के बारे में तथा इस प्रयोजन के लिए संघ किसी राज्य द्वारा जो अनुदान दिए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारि''ा करने के लिए राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसे व्यक्तियों को मिलाकर जैसा वह उचित समझे आयोग बना सकेगा आयोग नियुक्त करने वाले आदेश से आयोग द्वारा अनुकरणीय प्रक्रिया भी परिभाषित होगी।

(2) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को सौंपे गये विषयों का अनुसंधान करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसमें पाये गये तथ्यों का समावे''ा होगा और जिसमें ऐसी सिफारि''ा भी जिन्हें आयोग उचित समझ करेगा।

(3) राष्ट्रपति इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदनों की एक प्रतिलिपि उस पर की गई कार्यवाही के संक्षिप्त ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

अनुच्छेद 340 –

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

के अन्तर्गत प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 को नियुक्त किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को राष्ट्रपति को दे दी। इसके बाद द्वितीय पिछड़ा आयोग श्री बी.पी. मण्डल की अध्यक्षता में जनवरी 1979 को नियुक्त किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी 1980 को राष्ट्रपति को दे दी। केन्द्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा अभी तक दोनों आयोगों की सिफारिशों के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की उक्त संवैधानिक प्रावधानों पर उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय–समय पर परीक्षण एवं व्याख्या की गई है।

उच्चतम न्यायालय ने एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य ए. आई. आर. 1969 पेज 649 के मुकदमें में अनु. 15(4) एवं 16(4) का परीक्षण करते हुए कहा है कि इन दोनों अनुच्छेदों में सहायता पहुँचाने की व्याख्या है। इनके द्वारा राज्य के ऊपर यह बाध्यता नहीं है कि वह इन वर्गों के लिए आव''यक कार्यवाही करें।

निष्कर्ष :–

सन् 1950 में कई आशाओं के साथ संविधान अस्तित्व में आया। इसके द्वारा कई आशाऐं जागृत हुई और कई वचन दिये गये और साधारणतः भारत के कम सुविधा प्राप्त और उत्पीड़ित लोगों के लिए अच्छे और सुन्दर जीवन के लिए घोषणा की गई, संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों द्वारा भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य (42 व संविधान सं''ोधन के समय सामाजिक और धर्म निरपेक्ष) बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनि''चत करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प की घोषणा की गई है। जबकि विधि के समक्ष समता का अधिकार (अनुच्छेद 14) और राज्याधीन नौकरी के विषय में अवसर की समता (अनच्छेद 16) मूल अधिकारों के रूप में प्रत्याभूत किए गए हैं तथा राज्य को राज्य की नीति के निर्दे''ाक तत्वों के रूप म ऐसी सामाजिक व्यवस्था दी जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनु प्रमाणित करें, संरक्षण करके लोककल्याण की उन्नति का प्रयास करने के लिए

अनुच्छेद 39(1) –

तथा प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करने के लिए अनुच्छेद 38(2) तथा अपनी नीति का ऐसा संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो अनु. 39(ख) तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिसने धन और उत्पादन साधनों को सर्वसाधरण के लिए अहितकारी केन्द्रणन हो (अनुच्छेद 39 ग) संविधान की प्रस्तावना और उपबंधों के अनुसरण में विशेष उपबंध बनाए गए हैं विशेषतया तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनकी विद्यमाने निम्न सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति तथा उसके परिणाम स्वरूप स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए उपबन्ध किए गए हैं। इस बात की मान्यता प्रदान की गई है कि राज्य द्वारा गम्भीर स्थिति उत्पन्न करने और लोकसेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातिया के सदस्यों के द्वारा भाग लेने में वृद्धि करने के लिए आव''यक

International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 04, April 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com
© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

प्रोत्सहान देने हेतु व्यवस्था करने में असफलता, लोक नियोजन के मामले में उन्हें अवसर की समता से इंकार करने की कोटि में आएगा। अनुच्छेद 335 संविधान के भाग 16 में जोड़ा गया है। जिसमें कतिपय वर्गों क सम्बंध में विशेष उपबंध है। अनु. 335 में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित उपबंध किया गया है।

''संघ या राज्य के कार्यों जिसमें शसक सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्यपटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जायेगा''

सन्दर्भ सूची :–

1. एस. शुक्ला और आर. कौल (संपादक गण) के एजुकेशन, डेवलपमेन्ट एंड अंडरडवलपमेन्ट, नयी दिल्ली सेज पृ.स.– 199–209
2. पांडे, के. एस. और पी. सी. सतपथी, 1989 ट्राइबल इंडिया, नयी दिल्ली, आ''ीष
3. शर्मा, ब्रह्मदेव, वही, पृष्ठ संख्या–13,
4. का''यप, सुभाष, ''हमारा संविधान'', ने''ानल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ संख्या–62–68
5. लक्ष्मीकांत, एम., ''भारत की राजव्यवस्था'' टाटा मेग्राहील एजूके''ान प्रा.लि., नई दिल्ली, 2011, पृष्ठ संख्या–38.1–38.2
6. लक्ष्मीकांत, वहो, पृष्ठ संख्या –38.1
7. योजना पत्रिका, भारत सरकार, अंक जनवरी 2014, पृष्ठ संख्या 07